भुगतान की विधि

सामान्य नियम के अनुसार, राजपत्रित अधिकारियों के वेतन, छुट्टी अथवा अवकाश से संबंधित वेतन तथा भत्तों का भुगतान महालेखाकार द्वारा या तो राजकोषों के कार्यालय में या संवितरण अधिकारियों जैसे लोक निर्माण कार्य/ वन प्रभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

वेतन की दरें, विशेष वेतन (यदि कोई हो) एवं विनिर्दिष्ट तिथि से भत्तों का भुगतान सूचित करते हुए वेतन पर्ची संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को जारी की जाती है तथा उसकी प्रतियां कोषागार अधिकारियों/ वेतन एवं लेखा अधिकारियों को भी प्रेषित की जाती हैं।